



## Directorate of Technical Education, Chhattisgarh

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़


Indrawati Bhawan, Block-3, 4th Floor, Nava Raipur - 492002

Phone :- 0771-2438666, 2221376, Fax :- 2253620, Website :-  
http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in

### Provisional Allotment Letter for Academic Year 2021-2022

#### Master in Computer Application (MCA)

Candidate's Name	DOMAN KUMAR CHAKRADHARI
Application ID	MCA210018811
Category	OBC
Class	NA
Specical Class	NA
Gender	Male
Address	VILL- GHODARI, POST- BIRKONI, DIST- MAHASAMUND (C.G.)



सूचित किया जाता है कि मेरिट सीट उपलब्धता तथा आपके द्वारा दिये गए प्राथमिकता क्रम (Preferences) के आधार पर Master in Computer Application (MCA) पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु आपका अस्थायी आबंटन (Provisional Allotment) पृष्ठ क्रमांक 02 में वर्णित शर्तों के अधीन निम्नानुसार किया जाता है।

आबंटित संस्था का नाम	School of Studies in Computer Science and IT , Pt. RSU, Raipur
आबंटित ब्रांच का नाम	MCA
आबंटित विकल्प कोड (Allotted Option Code)	10101
आबंटित प्राथमिकता क्रम (Allotted Preference)	1
आबंटित प्रवर्ग (Allotted Category)	UR
आबंटित वर्ग (Allotted Class)	
आबंटन दिनांक (Allotment Date)	17/10/2021
आबंटित संस्था का दूरभाष क्रमांक	
प्रवेश प्रभारी का मोबाइल नंबर	1111111111

आपको आबंटित संस्था में दिनांक 20-Oct-2021 06:00 PM बजे तक उपस्थित होकर प्रवेश लेना अनिवार्य है, निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर सीट आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

टीप : इस आबंटन पत्र की 02 प्रतियां फोटोकॉपी करवा लें, 01 प्रति अपने पास रखे एवं एक प्रति संस्था में जमा करें।

**कोविड-19 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने हेतु संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों के लिए निर्देश:-**

1. आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश हेतु मास्क लगाकर आने की अनिवार्यता होगी।
2. समस्त अभ्यर्थी को स्वयं के साथ मास्क] सेनेटाइजर] पानी की बोतल एवं टिफिन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
3. आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. केवल आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। आवेदकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।
5. आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित बैठक कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र मूवमेंट की अनुमति नहीं होगी।

## ऑनलाइन आबंटन हेतु नियम एवं शर्तें

1. अभ्यर्थी को निर्धारित अंतिम तिथि एक कार्यकालीन समय में संबंधित संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य है, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वयं निरस्त माना जायेगा, अभ्यर्थी अपना प्रवेश अपने सामने ही संस्था में ऑनलाइन कन्फर्म करवाये, इसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी।
2. प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने Provisional Allotment Letter के साथ निम्नलिखित दस्तावेज I(A) पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र I(B) माइग्रेसन प्रमाण-पत्र यदि लागू हो तो I(C) चरित्र प्रमाण पत्र I (D) गेप प्रमाण-पत्र (यदि 10वीं के बाद व्यवधान हुआ है तो I(E) कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर की प्रति I(F) 10 वीं की अंकसूची एवं अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची I(G) छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र I(H) स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (अस्थाई स्वीकार्य नहीं) यदि लागू हो तो I(I) निःशक्तता प्रमाण पत्र / सैनिक प्रमाण पत्र / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र (जो लागू हो) I (J) बी.पी.एल. कार्ड यदि बी.पी.एल. में आते हो तो I(K) आय प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के लिए) I(L) फोटो पासपोर्ट साइज 03 प्रति एवं उनके 1 फोटोकॉपी सेट लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित संस्था अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों का पात्रता के आधार पर सत्यापन कर अंतिम प्रवेश देंगे, दस्तावेजों को जांच करने की अंतिम जिम्मेदारी संस्था की रहेगी एवं किसी भी स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं माइग्रेसन प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज जमा नहीं कराये जाएंगे।
4. चूंकि अभ्यार्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गयी जानकारीयों के आधार पर अस्थाई आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) जारी किया गया है, अतः यह संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी की वह मूल प्रमाण-पत्रों के पात्रता के आधार पर सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अंतिम प्रवेश दे. यदि अंतिम प्रवेशोपरांत अभ्यर्थी प्रवेश के लिये अपात्र पाया जाता है या उसके प्रवेश संबंधी पात्रता के कारण किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
5. संस्था द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मेरिट/पात्रता या अन्य प्रवेश संबंधी त्रुटि अथवा भिन्नता परिलक्षित होती है, तो इसे संचालनालय की जानकारी में आवश्यक होने पर प्रवेश निरस्त किया जायेगा तथा संस्था प्रवेश निरस्त किये गए विद्यार्थी की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।